प्रश्न सं. [क्र. 1273]

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय,
"घ" खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल- मध्यप्रदेश

क्रमांक 4879/NFSA/2025 भोपाल, दिनांक 22/07/2025

प्रति,

संचालक,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

विषय:विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1273 श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, माननीय सदस्य विधानसभा।

प्रश्न

(क) बीपीएल संयुक्त परिवार के व्यस्क पुरूष सदस्यों तथा पिता से पुत्रों का बंटवारा होने पर ऐसे पुत्रों को पृथक बीपीएल राशन कार्ड जारी करने के नियम क्या बनाये गये है ? यदि नहीं तो कब तक बनाये जायेंगे? समयावधि बतायी जावे? यदि हाँ तो क्या जनपद पंचायतों /ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसे परिवारों के राशन कार्ड जारी किये जा रहे है?

(ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में जब तक नियम नहीं बनाये जाते है, तब तक की व्यवस्था हेतु कोई निर्देश ऐसे परिवारों को खाद्यान्न मुहैया कराये जाने की दृष्टि से जारी किये जाने की कार्यवाही क्या शासन स्तर में प्रचलित है? यदि हाँ तो कब तक निर्देश जारी कर क्रियान्वयन करा दिया जावेगा?

उत्तर

(क) गरीबी रेखा में नाम जोड़ने का कार्य खाद्य विभाग द्वारा नही किया जाकर राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। शहरी क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग) एवं ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार द्वारा गरीबी रेखा में नाम जोड़े जाते है। जिसके उपरांत ई-राशन कार्ड के रूप में नवीन पात्रता पर्ची हेतु प्राप्त आवेदनों का स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापन उपरांत खाद्य विभाग के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा राशन दुकान से मैप कर आवेदन को सत्यापित किया जाता है, जिसके पश्चात ई-केवायसी कराने हेतु हितग्राहियों के नाम उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई POS मशीन पर प्रदर्शित कराये गये है। हितग्राहियों को ई-केवायसी करवाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। हितग्राही द्वारा स्वयं ई-केवायसी कराने के उपरांत पात्रता पर्ची जारी की जाती है।

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को ई-केवायसी करवाने के निर्देश दिये गये है। हितग्राहियों द्वारा स्वयं ई-केवायसी करवाने के उपरांत पात्रता अनुसार खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों से प्रतिमाह वितरण कराया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

22/07/2025

संयुक्त संचालक,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्यप्रदेश।

Scanned with CamScanner